# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

## राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प गोदावास

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 17/2015

**वादीगण** बनाम **प्रतिवादी**

1 रामलाल पुत्र भंवरलाल विश्नोई
2 सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल विश्नोई
निवासी गंगावास तहसील पचपदरा

1. भंवरलाल पुत्र खेराजराम विश्नोई
2. अनाराम पुत्र खेराजराम विश्नोई
निवासीयान गोदावास कल्ला
3. बाबुलाल पुत्र मंगलाजी विश्नोई
4. उगमा पुत्री मंगलाजी विश्नोई
5. अणची बेवा मंगलाजी विश्नोई
6. सोनाराम पुत्र खेराजराम विश्नोई
निवासीयान गंगावास
7. श्रीमती सुबटी पत्नि जोराराम
विश्नोई निवासी गोदावास कल्ला
8. श्रीमान भूमि धारक महोदय,
तहसीलदार पचपदरा

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

**वाद बाबत अधिकारों की घोषणा रेकर्ड दुरुस्ती एवं व्यायादेश**

**निर्णय**

उपस्थित : वादी सं. 2 सत्यनारायण दिनांक : 24.05.2018

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की पुस्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 619 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा खसरा नम्बर 624 रकबा 7 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 7 बीघा 9 विस्वा, खसरा नम्बर 627 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 31 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 70 बीघा 19 विस्वा मौजा गंगावास में स्थित है व खसरा नम्बर 223 रकबा 28 बीघा व खसरा नंबर 241 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा व खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा कुल रकबा 40 बीघा 15 विस्वा मौजा गोदावास कल्ला में स्थित है।

वादग्रस्त भूमि कर्ता खानदान खेराजराम के नाम अंकित थी जिनके देहान्त पर जरिये उत्तराधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 6 उनके भाई मंगलाराम के नाम अंकित हुई इसी मुजब उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख निरन्तर हिन्दू उत्तराधिकार प्रथा अनुसार बदलता आ रहा है व वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित होते है फलतः वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में उनका हक व हिस्सा उनके जन्म सिद्ध अधिकार के रुप में है मगर प्रतिवादी संख्या 1 ऐश व आराम से अयाशी जीवन बिता रहा है तथा अपने परिवार से अलग ओरो के साथ जीवन यापन कर रहा है वादीगण स्वर्गीय खेराजराम के पौत्र है व खेराजराम को भी उक्त भूमि जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुई थी वादीगण के हक हिस्से की पैतृक भूमि की डिक्री सादिर फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके सहेते मित्र रिश्तेदार इत्यादि वादीगण के वादग्रस्त भूमि के उपयोग व उपभोग इत्यादि में दखल अंदाजी न स्वयं पैदा करे न ही औरों से करावे व न ही वादीगण को बेदखल करे।

वादी संख्या 2 सत्यनारायण ने वाद के समर्थन में अपने ब्यान दर्ज कराये गये।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प गोदावास

Scanned by CamScanner

हमने वाद पत्र व वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन कर ध्यान पूर्वक अध्ययन किया वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा खेजराराम के नाम दर्ज है ग्राम गोदावास भू–प्रबन्धक विभाग खतौनी संवत 2029 से 2048 में खाता नंबर 135 जो खेजराराम के पुत्रों के नाम दर्ज है ग्राम गंगावास जमाबन्दी खाता संख्या 26 खेजराराम के नाम दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजों से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा खेराजराम के नाम रही वादीगण स्वर्गीय खेजराराम के पोते व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है उक्त वादग्रस्त भूमि सहदायिक संयुक्त हिन्दू खानदान की सम्पदा है। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित होते है फलतः वादीगण क उक्त वादग्रस्त भूमि में उनका हक हिस्सा उनके जन्म सिद्ध अधिकार के रुप में है।

हमने मजमे आम में उपस्थितगण से पूछताछ की गई तो वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की व भूमि पूर्व में खेजराराम के नाम दर्ज होना बताया। वाद ग्रस्त पुस्तौनी भी होना जाहिर किया मजमे आम में वादीगण को खातेदार घोषित करने हेतु कोई आपत्ति एतराज नही होना बताया। इस सम्बन्ध में चर्चा भी की गई। मजमे आम में उपस्थित ने बताया कि भवरलाल पुत्र खेजराराम के दो पुत्र रामलाल व सत्यनारायण व एक पुत्री रामी देवी है। दोनों भाईयों के साथ पुत्री का भी हक हिस्सा होना जाहिर किय तथा वादी संख्या 2 सत्यनारायण ने अपने ब्यानों में भी जाहिर किया की भंवरलाल के हम तीन भाई बहन है। वादग्रस्त भूमि पुस्तौनी है तथा हमारी माता 4 वर्ष पूर्व फौत हो चूकी है जो हमारे साथ रहती थी। मजमे आम में चर्चा करने पर बताया गया कि वादग्रस्त भूमि में सोनाराम का 1/4, अन्नाराम का 1/4, बाबूराम का 1/12, उगमी देवी का 1/12, अणची देवी का 1/12 व भंवराराम का 1/16,रामलाल का 1/16, सत्यनारायण का 1/16 व रामी देवी पुत्री भंवरलाल का 1/16 हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपति एतराज पेश नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मौजा गंगावास खसरा नम्बर 619 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा खसरा नम्बर 624 रकबा 7 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 7 बीघा 9 विस्वा, खसरा नम्बर 627 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 31 बीघा 12 विस्वा व मौजा गोदावास कल्ला खसरा नम्बर 223 रकबा 28 बीघा व खसरा नंबर 241 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा व खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा पुस्तैनी है जिसने वादीगण रामलाल पुत्र भंवरलाल का 1/16 हिस्सा, सत्यानारायण पुत्र भंवरलाल का 1/16 हिस्सा, रामी देवी पुत्री भंवरलाल का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र खेजराराम का 1/16 हिस्सा, सोनाराम पुत्र खेजराराम का 1/4 हिस्सा, अनाराम पुत्र खेजराराम का पुत्र 1/4 हिस्सा, बाबूराम पुत्र मंगलाराम का 1/12 हिस्सा, उगम देवी पुत्री मंगलाराम 1/12 हिस्सा, अणची देवी पत्नि मंगलाराम का 1/12 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है भंवरलाल द्वारा सुबटी को बैचान की गई भूमि भंवरलाल के हिस्से में से कम की जावे। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना–अपना वहन करे डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदावास में खुल न्यायालय में सुनाया गया।

( भागीरथ राम )
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प गोदावास

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
**(Civil Procedure Code,Appendix 'D'1)**

अज अदालत– श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प गोदावास
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1 रामलाल पुत्र भंवरलाल विश्नोई<br>2 सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल विश्नोई<br>निवासी गंगावास तहसील पचपदरा | | 1. भंवरलाल पुत्र खेराजराम विश्नोई<br>2. अनाराम पुत्र खेराजराम विश्नोई निवासीयान गोदावास कल्ला<br>3. बाबुलाल पुत्र मंगलाजी विश्नोई<br>4. उगमा पुत्री मंगलाजी विश्नोई<br>5. अणची बेवा मंगलाजी विश्नोई<br>6. सोनाराम पुत्र खेराजराम विश्नोई निवासीयान गंगावास<br>7. श्रीमती सुबटी पत्नि जोराराम विश्नोई निवासी गोदावास कल्ला<br>8. श्रीमान भूमि धारक महोदय, तहसीलदार पचपदरा |

<u>वाद बाबत अधिकारों की घोषणा रेकर्ड दुरुस्ती एवं व्यायादेश</u>

मुकदमा नंबर 17/2015 दिनांक : 24.05.2018

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि** मौजा गंगावास खसरा नम्बर 619 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा खसरा नम्बर 624 रकबा 7 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 7 बीघा 9 विस्वा, खसरा नम्बर 627 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 31 बीघा 12 विस्वा व मौजा गोदावास कल्ला खसरा नम्बर 223 रकबा 28 बीघा व खसरा नंबर 241 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा व खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा पुस्तौन है जिसने वादीगण रामलाल पुत्र भंवरलाल का 1/16 हिस्सा, सत्यानारायण पुत्र भंवरलाल का 1/16 हिस्सा, रामी देवी पुत्री भंवरलाल का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र खेजराराम का 1/16 हिस्सा, सोनाराम पुत्र खेजराराम का 1/4 हिस्सा, अनाराम पुत्र खेजराराम का पुत्र 1/4 हिस्सा, बाबूराम पुत्र मंगलाराम का 1/12 हिस्सा, उगम देवी पुत्री मंगलाराम 1/12 हिस्सा, अणची देवी पत्नि मंगलाराम का 1/12 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है भंवरलाल द्वारा सुबटी को बैचान की गई भूमि भंवरलाल के हिस्से में से कम की जावे। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2018 को जारी की गई।

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

( भागीरथ राम )
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प गोदावास

भागीरथ राम
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प... गोदावास

Scanned by CamScanner